

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(340)अकाद/आकाशि/शै0कार्यभार/2014-15/390 दिनांक: 09 जनवरी, 2023

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय: "Workload 2022-23" की स्प्रेडशीट में सूचनायें अद्यतन करने के संबंध में।
संदर्भ :- आयुक्तालय का समसंख्यक पत्रांक 602-604 दिनांक 16 नवम्बर, 2022


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिकांश महाविद्यालयों ने "Workload 2022-23" की स्प्रेडशीट में शैक्षणिक कार्यभार गणना के मानकों के आधार पर सूचनाएं अंकित नहीं की है।

अतः समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 11.01.2023 को अपरान्ह 2.00 बजे तक उनके द्वारा पूर्व में भरी गई सूचनाओं को शैक्षणिक कार्यभार के मानकों के आधार पर संशोधित करें, साथ ही निम्न वर्णित कॉलमों में वांछित सूचनायें भरना भी सुनिश्चित करें।


1. स्प्रेडशीट में स्नातक स्तर पर विषयवार प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के कॉलम के साथ A नाम का नवीन कॉलम Insert किया गया है, जिसमें तीनों कक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कुल वर्गों की संख्या (Total No. of filled Sections) भरी जावे। इसी प्रकार प्रायोगिक विषयों में तीनों कक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कुल बैचों की संख्या B नाम से Insert नवीन कॉलम में भरी जावे।
2. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक विषयों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के साथ C नाम का नवीन कॉलम Insert किया गया है जिसमें प्रायोगिक कार्य हेतु कुल बैचों की संख्या भरी जावे।

प्राचार्य स्प्रेडशीट में भरी गई सूचनाओं की जांच कर ले। अपूर्ण/गलत सूचना देने पर प्राचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।


(केसरलाल मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
3. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।


(डॉ. शैला महान)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)